

परिशिष्ट 1.1
शहरी स्थानीय निकायों के कार्य
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

- (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित हैं।
- (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन।
- (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन।
- (iv) मार्ग एवं सेतु।
- (v) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- (vi) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- (vii) अग्नि सेवाएं।
- (viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष का उन्नयन।
- (ix) विकलांगों एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा।
- (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण।
- (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन।
- (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- (xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य परक पक्ष का उन्नयन।
- (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- (xv) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- (xvi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- (xvii) स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- (xviii) बूचड़खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट 1.2
शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा विशेष रूप से किये गये कार्य
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.3; पृष्ठ 2)

- i) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- ii) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- iii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- iv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- v) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- vi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- vii) मार्ग प्रकाश, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- viii) बूचड़खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट 1.3

शहरी स्थानीय निकायों एवं शासकीय अभिकरणों के मध्य कार्यों का विभाजन (संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

क्र० सं०	सेवाएं	विभाग / शासकीय अभिकरण
1.	शहरी योजना शहरी नियोजन सहित	27 शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
2.	भू उपयोग नियामक एवं भवन निर्माण	27 शहरों में विकास प्राधिकरण, 74 शहरों में नियामक क्षेत्र अभिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
3.	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक विचारों की उन्नयन	(i) सांस्कृतिक क्रियाकलाप राज्य संस्कृति विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
		(ii) शिक्षा निगम के माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा
		(iii) धार्मिक विचार शासकीय विभागों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
4.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना	विकास प्राधिकरण, विकास परिषद्, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य शहरी विकास अभिकरण, उ.प्र. जल निगम, उ.प्र. जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा
5.	सड़कें एवं पुलें	विकास प्राधिकरणों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट 1.4

शासकीय विभागों / अभिकरणों के द्वारा किये जाने वाले कार्य (संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

क्र० सं०	सेवाएं	विभाग / अभिकरण
1.	अग्नि सेवा	अग्नि शमन विभाग
2.	शहरी वानिकी	वन विभाग
3.	पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पक्ष की उन्नति	पर्यावरण विभाग
4.	मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग
5.	विकलांगों एवं मांसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

परिशिष्ट 1.5

अभिलेखों का रख-रखाव, सेवा स्तर मानकों आदि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.8, 1.9, 1.11.6 एवं 1.11.7; पृष्ठ 6, 11 एवं 12)

इकाई का नाम	अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति	बैंक पास बुक से रोकड़ बही के मिलान की स्थिति	1-राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल के अनुसार लेखों का रख-रखाव 2-दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर वार्षिक लेखों के तैयार किये जाने की स्थिति 3-वार्षिक लेखों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता	सम्पत्ति कर परिषद की प्रद्यतन स्थिति	आग से खतरे पर प्रतिक्रिया एवं शमन योजना	लक्ष्य के विरुद्ध सेवाओं की उपलब्धियां चार सेवा स्तर मानकों के सापेक्ष 1. जलापूर्ति 2. सीवरेज 3. वर्षा जल निकासी 4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ए0सी0 / डी0सी0 बिलों पर टिप्पणियां
नगर निगम, बरेली	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. अधूरा तैयार किया 3. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.47.8 प्रतिशत 2. प्रदान नहीं किया गया 3. प्रदान नहीं किया गया 4. प्रदान नहीं किया गया	लागू नहीं
नगर निगम, मुरादाबाद	आंशिक रख-रखाव	मिलान किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. अधूरा तैयार किया 3. लागू नहीं	-	लागू नहीं	प्राप्त किया	नहीं
नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	3. प्राप्त किया 2. प्राप्त नहीं किया 3. प्राप्त नहीं किया 4. प्राप्त नहीं किया	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पालिका परिषद, अतर्रा, बाँदा	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	3. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगर पालिका परिषद, संत कबीर नगर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	1. प्राप्त किया 2. प्राप्त नहीं किया 3. प्राप्त नहीं किया 4. प्राप्त नहीं किया	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	क्रियान्वयित नहीं	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पंचायत, कुरारा हमीरपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	क्रियान्वयित नहीं	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पंचायत, खीरी लखीमपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान किया गया	1. उपार्जन आधारित लेखे 2015-16 तक नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं		ए0सी0बिल तैयार नहीं था

परिशिष्ट 1.6

आंकड़ों में अन्तर का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.11.1.1; पृष्ठ 8)

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय वित्त आयोग			
वर्ष	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबन्धित वर्षों में उपलब्ध कराये गये आंकड़े	विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े	निदेशक, शहरी स्थानीय निकायों एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में अन्तर (कालम 2—कालम 3)
1	2	3	4
2011-12	517.51	517.50	0.01
2012-13	756.49	756.45	0.04
2013-14	760.01	941.88	-181.87
2014-15	821.98	640.08	181.9
2015-16	983.60	983.60	0

(₹ करोड़ में)

राज्य वित्त आयोग			
वर्ष	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबन्धित वर्षों में उपलब्ध कराये गये आंकड़े	विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े	निदेशक, शहरी स्थानीय निकायों एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में अन्तर (कालम 2—कालम 3)
1	2	3	4
2011-12	3,354.37	3,767.51	-413.14
2012-13	3,993.98	4,158.26	-164.28
2013-14	6,160.69	4,808.60	1,352.09
2014-15	6,948.17	5,677.86	1,270.31
2015-16	5,462.43	6,099.86	-637.43

(स्रोत: निदेशक शहरी विकास विभाग एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)

परिशिष्ट 1.7

निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.11.5; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी	वर्ष	लक्ष्य (₹)	प्राप्ति (₹)	कमी/आधिक्य (₹)	कमी/आधिक्य (प्रतिशत)
नगर निगम	2011-12	972.00	833.20	(-)138.8	14.28
	2012-13	1,117.80	999.84	(-)117.96	10.55
	2013-14	1,334.46	852.62	(-)481.84	36.11
	2014-15	1,613.41	964.43	(-)648.98	40.22
	2015-16	1,045.32	990.18	(-)55.14	5.27
नगर पालिका परिषद्	2011-12	311.87	198.87	(-)113.00	36.23
	2012-13	358.65	238.64	(-)120.01	33.46
	2013-14	426.63	318.73	(-)107.90	25.29
	2014-15	501.80	347.68	(-)154.12	30.71
	2015-16	381.92	368.31	(-)13.61	3.56
नगर पंचायत	2011-12	79.87	57.12	(-)22.75	28.48
	2012-13	91.85	68.54	(-)23.31	25.38
	2013-14	114.37	97.76	(-)16.61	14.52
	2014-15	133.51	101.58	(-)31.93	23.92
	2015-16	111.34	124.58	(+)13.24	--

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)